भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *27
दिनांक 27 नवम्बर, 2024 / 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण

***27 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः**
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बलों सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में कांस्टेबल स्तर पर कतिपय पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार इस आरक्षण के अंतर्गत अब तक कितनी महिलाओं को नियोजित किया गया है, संबंधित केन्द्रीय बलों की कार्मिकों की वास्तविक संख्या की तुलना में उनका अनुपात कितना है और इस संबंध में किसी कमी का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण” के संबंध में दिनांक 27.11.2024 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *27 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जनवरी, 2016 में यह निर्णय लिया गया था कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल स्तर पर 33% पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बलों अर्थात बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में, कांस्टेबल स्तर पर 14-15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, इस आरक्षण के अनुरूप पदस्थ महिला कांस्टेबल की कुल संख्या 31,355 है। संबंधित केंद्रीय बलों की वास्तविक संख्या बल की तुलना में उनका अनुपात अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ): भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास/उपाय अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

*****

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *27, दिनांक 27.11.2024
अनुलग्नक-I

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में महिला कांस्टेबलों की कुल संख्या

बल का नाम	**कुल संस्वीकृत संख्या**	**कुल पदस्थ संख्या**	**पदस्थ महिला कांस्टेबलों की संख्या**	**कुल पदस्थ संख्या के एवज मे महिला कांस्टेबलों का कुल प्रतिशत**
सीआरपीएफ	325182	298921	6513	2.17
बीएसएफ	265808	256864	9936	3.86
सीआईएसएफ	177325	151080	6287	4.16
आईटीबीपी	96222	90491	2838	3.13
एसएसबी	97774	92658	3806	4.10
एआर	66411	63817	1975	3.09
कुल	**1028722**	**953831**	**31355**	**3.29**

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *27, दिनांक 27.11.2024

अनुलग्नक-II

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय :

i) प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके भर्ती आयोजित की जा रही है। सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

ii) सीएपीएफ में भर्ती होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में सभी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) में छूट दी गई है।

iii) केन्द्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल छुट्टी जैसी सुविधाएं सीएपीएफ की महिला कार्मिकों के लिए भी लागू हैं।

iv) महिला कार्मिकों की भर्ती करने के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में एक महिला सदस्य को शामिल किया जाता है।

v) सीएपीएफ द्वारा महिला कार्मिकों के लिए क्रेच और डे-केयर सेंटर उपलब्ध कराए गए हैं।

vi) यौन उत्पीड़न को रोकने और महिला कार्मिकों की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है।

vii) भर्ती नियमों के अनुसार महिला कार्मिकों को उनके कैरियर प्रोग्रेशन अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता में पुरुष कार्मिकों के बराबर समान अवसर प्रदान किया जाता है।

viii) 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है और प्रसूति पूरी होने तक उसकी नियुक्ति स्थगित कर दी जाती है। प्रसूति पूरी होने की तारीख के छह सप्ताह बाद, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जाती है। यदि फिट पाया जाता है, तो उसे आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाता है और मानदंडों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जाती है।

*****